

कार्यालय— अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या—वा०क०अधि०/स्व०मूल्यांकन/सी०आ०/ 17, दि० अप्रैल १०, २०१७,

परिपत्र

निर्देशानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016–17 हेतु वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश की विभिन्न पीठों में कार्यरत सदस्यों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु समस्त सदस्यगण वर्ष 2016–17 की दिनांक 01–04–2016 से 31–03–2017 तक की सम्पूर्ण अवधि अथवा सम्बन्धित पीठ कार्यालय/कार्यालयों में तैनाती की अवधि का 'स्वमूल्यांकन प्रपत्र' निर्धारित प्रारूप में समस्त संलग्नकों तथा न्यायिक कार्य–स्तर के मूल्यांकन हेतु संगत वर्ष में दिये गये निर्णयों सहित विलम्बतम दिनांक 30–04–2017 तक मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वांछित स्वमूल्यांकन प्रपत्र उपरोक्तानुसार उल्लिखित समस्त संलग्नकों सहित न्यायिक सदस्यगण द्वारा तीन सेट में तथा प्रोन्नति के फलस्वरूप नियुक्त विभागीय सदस्यगण द्वारा दो सेट में उपलब्ध कराया जाये।

समस्त सदस्यगण को एतद्वारा यह भी निर्देशित किया जाता है कि संगत वित्तीय वर्ष की सम्बन्धित कार्य अवधि में यथा स्थिति एकल पीठ, युगल पीठ अथवा पूर्ण पीठ में निस्तारित वादों के सम्बन्ध में पृथक पृथक रूप से निस्तारण मानक गणना—शीट स्वमूल्यांकन प्रपत्र के प्रत्येक सेट के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाये।

(साधना त्रिपाठी)

प्रभारी निबन्धक,  
वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन : संख्या —वा०क०अधि०/स्व०मूल्यांकन/सी०आ०/ १५२१/ 17, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
- 2— निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3— प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
- 4— वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।

*S. Tripathi.*  
(साधना त्रिपाठी)

प्र० निबन्धक,  
वाणिज्य कर अधिकरण,  
उ०प्र०, लखनऊ।